

Replies of RTI Appeals from the month of January, 2014 to November, 2014 in CS Wing

Index

Sl. No.	Subject	Reply Date of RTI Appeal
1.	RTI appeal of Sh. Puvvada Venkatesh, Bangalore dated 20.12.2013	13.02.2014
2.	RTI appeal No. DOTEL/A/2014/60031 of Sh. Pukazhendhi, Chennai dated 05.03.2014	21.03.2014
3.	RTI appeal No. DOTEL/A/2014/60066 of Sh. Rajender Singh Rawat, Delhi dated 05.03.2014	13.05.2014
4.	RTI appeal of Sh. Manmeet Singh, Kanpur dated 25.07.2014	05.09.2014
5.	RTI appeal No. DOTEL/A/2014/60120 of Sh. Abhijit Bhattacharya, Bangalore dated 31.07.2014	05.09.2014
6.	RTI appeal of Sh. Rohit Sharma, Una dated 16.08.2014	09.09.2014
7.	RTI appeal of Sh. Ram Kishore, Hardoi dated 13.09.2014	30.09.2014
8.	RTI appeal of Sh. K. P. Lal, Devghar dated nil	30.10.2014
9.	RTI appeal of Sh. Ashok R. Mansata, Kolkata dated nil	11.11.2014
10.	RTI appeal of Smt. Savita, Rohtak dated nil	13.11.2014

No. F. No. 16-05/2014-CS-III
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhawan, 20-Ashoka Road,
New Delhi-110001.

Dated: ¹³10.02.2014

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

On Appeal filed by Sh. Puvvada Venkatesh dated 20.12.2013 against the decision given by Sh. A. K. Chaudhary, Director(CS-III) & CPIO, DoT Sanchar Bhawan, New Delhi.

On an application dated 29.10.2013 by Sh. Puvvada Venkatesh under RTI Act, 2005.

In exercise of the powers, conferred upon the Appellate Authority by Section 19(6) of Right to Information Act, 2005, the Appellate Authority makes the following order:

2. Sh. Puvvada Venkatesh has filed an RTI Application dated 29.10.2013 under RTI Act, 2005 seeking the following information:

- (i) Why is the radiation limit(450mw/sq.m) very high compared to other countries limits. Are u compromising on public health..
- (ii) What are the radiation limits in different frequency bands shown below 869-894 MHz(CDMA), 935-960 MHz(GSM900) and 1810 1880 MHz (GSM 1800) if we add these together, will the total radiation be much more than safe limit. Is there any safe limit on the total sum of radiations from 2G/3G/4G.
- (iii) What are the measures taken to make sure that the people staying close to cell towers does not get any health hazards.
- (iv) What are the rules which have to followed by cell tower operators on the location of cell towers installation. Why are they allowed to install near to heavy residential zones.

3. Now Sh. Puvvada Venkatesh, has filed an appeal before Appellate Authority for getting the requisite information on the issue raised by him stating that the details have not been provided.

o/c

18/2/14

-11/c-

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

The issue has been considered by the Appellate Authority. It appears that the applicant had filed online RTI application. The application was transferred online to Director(CS-III) & CPIO, DoT. However, neither the application nor its disposal is appearing in the online software due to some technical error. In view of this, Director (CS-III) & CPIO DoT is hereby directed to provide the required information to applicant within 4 weeks time.

The appeal stands disposed.

Nja.
13/2/14
(NITIN JAIN)

DDG(CS) & APPELLATE AUTHORITY

To,

Sh. Sanjeev Kumar Sharma,
Dir(CS-III) & CPIO, DoT

Copy to :

1. Sh. Puvvada Venkatesh, DWI-48, 7th Floor, Brocade Communication System, Tower 2B, Vrindavan Tech Village, Varthur Hobli, Devarabesanahalli Village, Bangalore-560037 for information.
2. Sh. D.P. Singh, Dy. Secy(C) & CPIO, DoT.
3. Sh. P. K. Panigrahi, Sr.DDG(BW) & Appellate Authority, DoT

A
18/2

Nja.
12/2
(NITIN JAIN)

DDG(CS) & APPELLATE AUTHORITY

Nja
18/02/14

o/c

- 17/c

No. F.16-05/DDG(CS)/RTI/APPEAL/2014

**Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road,
New Delhi- 110001**

Dated 21.03.2014

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

On Appeal filed by Sh. Pukazhendhi vide RTI Appeal No. DOTEL/A/2014/60031 dated 05.03.2014 against the decision dated 14.02.2014 given by Sh. Sanjeev Kumar Sharma, Director(CS-III) & CPIO, DoT Sanchar Bhawan, New Delhi.

On an application vide registration no. DOTEL/R/2014/60195/1 dated 03.02.2014 by Sh. Pukazhendhi under RTI Act, 2005.

In exercise of the powers, conferred upon the Appellate Authority by Section 19(6) of Right to Information Act, 2005, the Appellate Authority makes the following order:

1. Sh.Pukazhendhi has filed an RTI Application dated 03.02.2014 under RTI Act, 2005 seeking the following information:

Information required for the below mentioned subject small conjested land building cell phone tower.

Subject: Tamilnadu, chennai 600026, corporation of chennai Zone 10 Ward 130.

No.6/5 gangai amman koil first street(5.5 dead end small lane)Vadapalani chennai.

Building owners V.S.Mani achari, Muniyandi, Sekar

Request for information


- (i) Cell phone tower licence no, operator, Installation permission given department s and permitted officers name.
- (ii) Cell phone tower earth placed in the common way, walk way projection is advicable.
- (iii) DOT Advisory for operating the cell phone tower in the subject permesses is governed by DOTE Please list us.
- (iv) How get the Electricity supply for the cell phone tower.

- 18/c-
- (v) Cell phone tower GENERATOR noise disturbs others living near the cell tower when its removed from true officials.
- (vi) What are the steps taken from 2013 by DOTE for the illegal non patta land building cell phone tower.
2. The information sought by applicant is related to a particular cell phone tower. Information with respect to only point no.(iii) above is available with Carrier Services Cell. Accordingly, Shri Sanjeev Kumar Sharma, Dir. CS(III), CPIO, DoT dully disposed of the RTI application vide communication dated 14.02.2014(Copy Enclosed).
3. The reply was given to Sh. Pukazhendhi RTI well within the stipulated time limit.
4. The original application of the applicant and the reply from CPIO have been carefully examined and I am of the opinion that information provided by Shri Sanjeev Kumar Sharma, Dir. CS(III), CPIO is in order.

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

In view of the facts, the decision of Director CS(III) & CPIO, DoT is upheld.

The appeal stands disposed.


21/2/14
(NITIN JAIN)

DDG(CS) & APPELLATE AUTHORITY

To

Sh. Pukazhendhi,
7/4 Gangai amman koil first street(5.5 feet lane),
Vadapalani,
Tamilnadu,
Chennai, Pin:600026

Copy to:

Dir(CS-III) & CPIO, DOT

-28/c-

No. F.16-05/DDG(CS)/RTI/APPEAL/2014

Government of India

Ministry of Communications & IT

Department of Telecommunications

Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road,

New Delhi- 110001

Dated 13.05.2014

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

On Appeal filed by Sh. Rajender Singh Rawat vide RTI Appeal No. DOTEL/A/2014/60066 against the decision dated 07.04.2014 given by Sh. Sanjeev Kumar Sharma, Director(CS-III) & CPIO, DoT Sanchar Bhawan, New Delhi.

On an application vide registration no. DOTEL/R/2014/60452/1 dated 15.03.2014 by Sh. Rajender Singh Rawat under RTI Act, 2005.

In exercise of the powers, conferred upon the Appellate Authority by Section 19(6) of Right to Information Act, 2005, the Appellate Authority makes the following order:

1. Sh. Rajender Singh Rawat has filed an RTI Application dated 15.03.2014 under RTI Act, 2005 seeking the following information:

Please provide the detail of Landlord alongwith pending lease rent, from the Reliance Infratel Limited(Anil Dhirubhai Ambani Group), Company taking land from various people near National Highway No. 58(Rishikesh Joshimath Manna Highway) to installed its BTS Tower in the year 2008.
2. The information sought by applicant seems related to commercial agreement between Reliance Infratel Limited(Anil Dhirubhai Ambani Group) and various land owners near National Highway No. 58. The requisite information is not available with Carrier Services Cell and the application was transferred to Sh. M.K. Rao, DWA & CPIO, DoT for providing the information, if available. Accordingly, Shri Sanjeev Kumar Sharma, Dir. CS(III), CPIO, DoT dully disposed of the RTI application vide communication dated 07.04.2014(Copy Enclosed).
3. The reply was given to Sh. Rajender Singh Rawat RTI well within the stipulated time limit.

- 20/c

4. The original application of the applicant and the reply from CPIO have been carefully examined and I am of the opinion that information provided by Shri Sanjeev Kumar Sharma, Dir. CS(III), CPIO is in order.

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

In view of the facts, the decision of Director CS(III) & CPIO, DoT is upheld.

The appeal stands disposed.

N. Jain
13/5/14
(NITIN JAIN)

DDG(CS) & APPELLATE AUTHORITY

To

Sh. Rajender Singh Rawat,
B-5423, Gali No. 115/14, B-Block, Sant Nagar,
Burari, Delhi 110084

Copy to:

Dir(CS-III) & CPIO, DOT

R. Kumar
13/05/14

ole

-47/c-

No. F.16-05/DDG(CS)/RTI/APPEAL/2014
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road,
New Delhi- 110001

Dated 05.09.2014

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

On Appeal filed by Sh. Manmeet Singh, Kanpur dated 25.07.2014 against the decision dated 10.07.2014 given by Sh. Sanjeev Kumar Sharma, Director(CS-III) & CPIO, DoT Sanchar Bhawan, New Delhi.

On an application dated 24.06.2014 by Sh. Manmeet Singh under RTI Act, 2005.

In exercise of the powers, conferred upon the Appellate Authority by Section 19(6) of Right to Information Act, 2005, the Appellate Authority makes the following order:

1. Sh. Manmeet Singh has filed an RTI Application dated 24.06.2014 under RTI Act, 2005 seeking the following information:

Please provide the report of Committee, which is constituted under order dated 10.01.2012 of the Hon'ble Allahabad High Court, bench at Lucknow in Civil Misc. Writ Petition No. 11275 of 2010(Ram Singh Jauhari V/s Union of India) which has been submitted on 24.03.2014 Hon'ble High Court.

2. The reply was given to Sh. Manmeet Singh well within the stipulated time limit.
3. Now Sh. Manmeet Singh has filed an appeal before the Appellate Authority for getting the requisite information on the issue raised by him stating that the details have not been provided.

Contd...

O/c

Parveen
8/9/14

-48/c-

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

The issue has been considered by the Appellate Authority. The report of the said Committee may be provided to the applicant. In view of this, Director(CS-III) & CPIO, DoT is hereby directed to provide the required information to the applicant. The applicant is requested to provide the requisite fee of Rs. 318/-(@ Rs. 2 per page) for providing the copy of the report.

The appeal stands disposed.



(Dr. R.M. CHATURVEDI)
DDG(CS) & APPELLATE AUTHORITY

To

Sh. Manmeet Singh,
R/o 124A/540, Block 11,
Govind Nagar, Kanpur

Copy to:

Dir(CS-III) & CPIO, DOT

No. F.16-05/DDG(CS)/RTI/APPEAL/2014(Pt.)

Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Telecommunications
Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road,
New Delhi- 110001

Dated 05 .09.2014

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

On Appeal filed by Sh. Abhijit Bhattacharya vide RTI Appeal No. DOTEL/A/2014/60120 dated 31.07.2014 against the decision dated 10.07.2014 given by Sh. Sanjeev Kumar Sharma, Director(CS-III) & CPIO, DoT Sanchar Bhawan, New Delhi.

On an application vide registration no. DOTEL/R/2014/60947/2 dated 24.06.2014 by Sh. Abhijit Bhattacharya under RTI Act, 2005.

In exercise of the powers, conferred upon the Appellate Authority by Section 19(6) of Right to Information Act, 2005, the Appellate Authority makes the following order:

1. Sh. Abhijit Bhattacharya has filed an RTI Application dated 24.06.2014 under RTI Act, 2005 vide which information sought under 3 points. In the appeal filed by Sh. Abhijit Bhattacharya additional information on certain points have been sought. However, this appeal has been dealt with respect to the information sought by the applicant in his original RTI application dated 24.06.2014.
2. The information sought by applicant relates to DoT guidelines on Mobile Tower Installation. The information provided by the CPIO to the applicant with respect to para no.1 is satisfactory. With respect to para no. 2 information related to radiation level limits as sought by applicant is not provided. As far as para no.3 of original RTI application is concerned, the CPIO has provided the details of office which is responsible for getting the

o/c

Power
8/9/14

radiation levels checked. The applicant is advised to get in touch with following office for getting radiation levels from BTS checked.

DDG(TERM), Bangalore,
IInd Floor, Aminty Block,
Palace Road, Bangalore-560001.

3. The reply was given to Sh. Abhijit Bhattacharya RTI well within the stipulated time limit.

ORDER OF APPELLATE AUTHORITY

The original application of the applicant and the reply from CPIO have been carefully examined and I am of the opinion that information provided by Shri Sanjeev Kumar Sharma, Dir. CS(III), CPIO with respect to para no. 1 & 3 is in order. CPIO is hereby directed to provide additional information related to radiation level limits to the applicant within 4 weeks from the date of issue of this order.

The appeal stands disposed.



(Dr. R.M. Chaturvedi)

DDG(CS) & APPELLATE AUTHORITY

To

Sh. Abhijit Bhattacharya,
Sobha Amethyst, Survey No. 184,185,187, Kannamangala Village,
Bidarahalli Hobli, Bangalore East Taluk, Bangalore-560067

Copy to:

Dir(CS-III) & CPIO, DOT

एफ संख्या 16-05/उप महानिदेशक(वाहकसेवा)/सूचना का अधिकार/अपील/2014

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20 अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 09.09.2014

अपील प्राधिकारी का आदेश

श्री संजीव कुमार शर्मा , निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग, संचार भवन नई दिल्ली द्वारा 27.06.2014 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध श्री रोहित शर्मा द्वारा दायर की गई दिनांक 16.08.2014 की अपील।

आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री रोहित शर्मा द्वारा दिनांक 12.06.2014 को दिए गए आवेदन पर।

सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 के खंड 19(6)में अपील प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपील प्राधिकारी निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

1. श्री रोहित शर्मा ने आर टी आई, 2005 के अंतर्गत दिनांक 12.06.2014 के आवेदन में हिमाचल प्रदेश में मोबाईल टॉवर से संबंधित जानकारी मांगी थी।
2. श्री संजीव कुमार शर्मा, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा संबंधित वांछित जानकारी वाहक सेवा में उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके आवेदन पत्र को निदेशक (टर्म) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग, डी. डब्ल्यू .ए एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग, निदेशक (अभिगम सेवा-2) एवं सीपी आई ओ, दूरसंचार विभाग एवं निदेशक (रेडियो), टीईसी एवं सी पी आई ओ को आर टी आई अधिनियम 2005 की धारा 6(3)के अंतर्गत, यदि कोई सूचना उपलब्ध हो तो उसे आवेदनकर्ता को प्रदान करने के लिए अंतरित किया गया था।
3. चूंकि श्री संजीव कुमार शर्मा, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना से श्री रोहित शर्मा संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने दिनांक 16.08.2014 को अपील दायर की।

4. आवेदक के मूल आवेदन और सी पी आई ओ के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और मेरा विचार है कि श्री संजीव कुमार शर्मा, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई सूचना व्यवस्थित एवं अनुकूल हैं।

अपील प्राधिकारी का आदेश

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग के निर्णय को सही ठहराया जाता है।

अपील का निपटान हो गया है।

अ/क

डॉ आर. एम. चतुर्वेदी
उप महानिदेशक (वाहक सेवा) एवं अपील प्राधिकारी

सेवा में,

श्री रोहित शर्मा,
आर.टी.आई .एक्टीविष्ट,
नंगल रोड , वार्ड न0.2, नजदीक सरकारी स्कूल,
गांव व डाकघर संतोषगढ,
जिला ऊना , हिमाचल प्रदेश-174301

प्रतिलिपि:-

निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग

o/c

Rawees
9/9/19

एफ संख्या 16-05/उप महानिदेशक(वाहकसेवा)/सूचना का अधिकार/अपील/2014

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20 अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 30.09.2014

अपील दायर करने का कारण

आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री राम किशोर द्वारा दिनांक 10.06.2014 को दिए गए आवेदन पर श्री राकेश कुमार, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग, संचार भवन नई दिल्ली द्वारा 21.08.2014 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध में श्री राम किशोर द्वारा दिनांक 13.09.2014 को अपील दायर की गयी।

2. श्री राम किशोर ने आर टी आई, 2005 के अंतर्गत दिनांक 10.06.2014 के आवेदन में मोबाईल टॉवरों की स्थापना से संबंधी दिशा निर्देशों एवं मोबाईल टॉवर लगाने वाली कम्पनियों के नाम एवं पते से संबंधी जानकारी तीन बिन्दुओं में मांगी थी।
3. श्री राकेश कुमार, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल टॉवर के संस्थापन से संबंधित दिशा निर्देशों की प्रतिलिपि एवं मोबाईल टॉवरों की स्थापना के बारे में अभिगम सेवा प्रदाताओं /अवसंरचना प्रदाताओं श्रेणी-1 (आई पी-1)के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही उपरोक्त जानकारी का दूरसंचार विभाग की वेबसाइट www.dot.gov.in पर भी उपलब्ध होने का उल्लेख किया था।
4. चूंकि श्री राकेश कुमार, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना से श्री राम किशोर संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने दिनांक 13.09.2014 को अपील दायर की है।


Parween
11/09/14

अपील प्राधिकारी का आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के खंड 19(6) में अपील प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपील प्राधिकारी निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

आवेदक के मूल आवेदन और सी पी आई ओ के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच की गई है एवं आवेदनकर्ता के आवेदन के विन्दु 2 के संदर्भ में श्री राकेश कुमार, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया जाता कि वह अवसंरचना प्रदाताओं श्रेणी-1 (आई पी-1) के नाम एवं पते की जानकारी आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराये साथ ही अभिगम सेवा प्रदाताओं के नाम एवं पते आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु सम्बंधित सी पी आई ओ को आर टी आई आवेदन हस्तांतरित करे।

यथानुसार अपील का निस्तांतरण हो गया है।



डॉ आर. एम. चतुर्वेदी

उप महानिदेशक (वाहक सेवा) एवं अपील प्राधिकारी

सेवा में,

श्री राम किशोर,

पुत्र स्व० भूधर राठौर,

ग्राम शेखपुर, पोस्ट-बरसोहिया, तहसील- सवायजपुर,

जिला- हरदोई, उत्तर प्रदेश- 241402

प्रतिलिपि:-

निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग

एफ संख्या 16-05/उप महानिदेशक(वाहकसेवा)/सूचना का अधिकार/अपील/2014

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20 अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 30.10.2014

अपील दायर करने का कारण

आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री के पी लाल द्वारा दिनांक 30.07.2014 को दिए गए आवेदन पर श्री संजीव कुमार शर्मा, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग, संचार भवन नई दिल्ली द्वारा 05.09.2014 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध में श्री के पी लाल द्वारा अपील दायर की गयी।

2. श्री के पी लाल ने आर टी आई, 2005 के अंतर्गत दिनांक 30.07.2014 के आवेदन में मोबाईल टॉवरों को हटवाने से संबंधित दिनांक 17.04.2014 एवं 17.05.2014 की शिकायतों का उल्लेख किया था। उपरोक्त शिकायतों को पहले ही इस कार्यालय के दिनांक 10.06.2014 एवं 27.06.2014 के पत्रों द्वारा टर्म सैल रांची को उचित कार्यवाही के लिए भेजा गया था।
3. श्री संजीव कुमार शर्मा, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा उपरोक्त आर टी आई आवेदन निदेशक टर्म और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, टर्म प्रकोष्ठ रांची को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया गया था।
4. चूंकि श्री संजीव कुमार शर्मा, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना से श्री के पी लाल संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने इस संबंध में अपील दायर की है।

Lawrence
30/10/14

5. आवेदक के मूल आवेदन और सी पी आई ओ के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और मेरा विचार है कि श्री संजीव कुमार शर्मा, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई सूचना व्यवस्थित एवं अनुकूल है।

अपील प्राधिकारी का आदेश

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग के निर्णय को सही ठहराया जाता है साथ आपके द्वारा भेजा गया 50 रुपये मूल्य का भारतीय पोस्टल आर्डर आपको वापस भेजा जा रहा है क्योंकि आर टी आई अपील में कोई शुल्क फीस नहीं होती है।

यथानुसार अपील का निस्तांतरण हो गया है।

Am
30/1/14

डॉ आर. एम. चतुर्वेदी

उप महानिदेशक (वाहक सेवा) एवं अपील प्राधिकारी

सेवा में,

श्री के पी लाल,
सिन्हा निवास, बडा शेखपुरा, मधुपूर (ई. आरएल बाई)
पी.ओ. मधुपूर-815353
जिला देवघर झारखंड

प्रतिलिपि:-

निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग

एफ संख्या 16-05/उप महानिदेशक(वाहकसेवा)/सूचना का अधिकार/अपील/2014

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20 अशोका रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 11.11.2014

अपील दायर करने का कारण

आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री अशोक आर मनसाटा द्वारा दिनांक 04.06.2014 को दिए गए आवेदन पर श्री राकेश कुमार, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग, संचार भवन नई दिल्ली द्वारा 21.08.2014 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध श्री अशोक आर मनसाटा द्वारा अपील दायर की गयी।

2. श्री अशोक आर मनसाटा ने आर टी आई, 2005 के अंतर्गत दिनांक 04.06.2014 के आवेदन में मोबाईल टॉवर स्थापना करने वाली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियों की जानकारी मांगी थी।
3. श्री राकेश कुमार, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा उपरोक्त आर टी आई आवेदन के प्रत्युत्तर के अनुसार कंपनियां जो आई पी-1 के तहत दूरसंचार विभाग में रजिस्टर्ड हैं वह भी मोबाईल टॉवर स्थापित कर सकती हैं। जिससे संबंधित जानकारी दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदनकर्ता ने अपनी अपील की एक प्रति निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग को भेजी थी जिसका प्रत्युत्तर दिनांक 17.10.2014 द्वारा आवेदनकर्ता को दिया जा चुका है जिसमें आई पी-1 कंपनियों की जानकारी से संबंधित 53 पृष्ठ उपलब्ध कराने के संबंध में (@ 2/- रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से) 106 रुपये मूल्य का भारतीय पोस्टल आर्डर भेजने के लिए आवेदनकर्ता को लिखा है जो कि वेतन एवं लेखा अधिकारी मुख्यालय, दूरसंचार विभाग दिल्ली को देय हो साथ ही उनका आर टी आई आवेदन निदेशक (ए एस-1) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग को आर टी आई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत मोबाईल टॉवर लगाने वाली अभिगम सेवा प्रदाताओं का विवरण आवेदनकर्ता को देने के लिए अंतरित किया गया था।
4. चूंकि श्री राकेश कुमार, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना से श्री अशोक आर मनसाटा संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने इस संबंध में अपील दायर की है।
5. आवेदक के मूल आवेदन और सी पी आई ओ के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और मेरा विचार है कि श्री राकेश कुमार, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई सूचना व्यवस्थित एवं अनुकूल है। इसके अलावा इस कार्यालय के दिनांक 17.10.2014 के पत्र संख्या 16-02/2014-सी.एस.-3 के द्वारा आपको यह भी सूचित किया गया है कि आई पी-1 कंपनियों की लिस्ट की प्रति आप 106 रुपये जमा कर भी प्राप्त कर सकते हैं।

8/c

Parwara
11/11/14

अपील प्राधिकारी का आदेश

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग के निर्णय को सही ठहराया जाता है।

यथानुसार अपील का निस्तांतरण हो गया है।

A/m

डॉ आर. एम. चतुर्वेदी
उप महानिदेशक (वाहक सेवा) एवं अपील प्राधिकारी

सेवा में,

श्री अशोक आर मनसाटा,
कनसर्न फॉर सिटिजन, एलगिन चैम्बर्स, 1 ए,
आशुतोष मुखर्जी रोड, कोलकत्ता-700020

प्रतिलिपि:-

निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग

भारत सरकार

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 13.11.2014

अपील दाखल करने का कारण

आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्रीमति सविता द्वारा दिए गए आवेदन पर श्री संजीव कुमार शर्मा, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग, संचार भवन नई दिल्ली द्वारा 26.09.2014 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध श्रीमति सविता द्वारा अपील दाखल की गयी।

2. श्रीमति सविता ने आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिए गए आवेदन में आर मैट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आई पी-1 इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी एवं एन ओ सी सर्टिफिकेट संबंधी सूचना मांगी थी। जिसके प्रत्युत्तर में आवेदनकर्ता को बताया गया था कि उपरोक्त कंपनी दूरसंचार विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है और वाहक सेवा प्रकोष्ठ इस प्रकार का कोई भी एन ओ सी सर्टिफिकेट नहीं देता है।
3. श्री संजीव कुमार शर्मा, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा उपरोक्त आर टी आई आवेदन डी डब्ल्यू ए एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया गया था।
4. चूंकि श्री संजीव कुमार शर्मा, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना से श्रीमति सविता संतुष्ट नहीं थी, अतः उन्होंने इस संबंध में अपील दाखल की है।
5. आवेदक के मूल आवेदन और सी पी आई ओ के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और मेरा विचार है कि श्री संजीव कुमार शर्मा, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई सूचना व्यवस्थित एवं अनुकूल है।

अपील प्राधिकारी का आदेश

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग के निर्णय को सही ठहराया जाता है।

यथानुसार अपील का निस्तांतरण हो गया है।

Ann

O/C

डॉ आर. एम. चतुर्वेदी

उप महानिदेशक (वाहक सेवा) एवं अपील प्राधिकारी

सेवा में,

श्रीमती सविता,
पत्नी श्री संजय कुमार बेदी,
1083/12, पाडा मोहल्ला,
रोहतक-124001

Poweren
19/11/14

प्रतिलिपि:-

निदेशक (वाहक सेवा-3) एवं सी पी आई ओ, दूरसंचार विभाग